R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B Part II nd
Paper I st Family Law
Muslim Law

मुतवल्ली

वह व्यक्ति जो वक्फ के मामलों या वक्फ सम्पत्ति की व्यवस्था करता है उसे मुस्लिम विधि में "मुतवल्ली" कहा जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ सम्पत्ति में मुतवल्ली का किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार नहीं होता है, वह वक्फ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पत्ति को व्यवस्थापक की हैसियत से धारण करता है। एक केस में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम की धारा 3(i) को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी भी मुतवल्ली को यह अधिकार नहीं है कि वह मुतवल्ली का पद किसी अन्य को हस्तांतरित कर दे। यह अधिकार केवल वक्फ का सृजन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। साथ ही मुतवल्ली वक्फ सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है। हिन्दू विधि के अंतर्गत 'सेवायती' सम्पत्ति भी है और पद भी किन्तु मुस्लिम विधि के अंतर्गत "मुतवल्ली होना" सम्पत्ति अधिकार न होकर केवल पद ही है। जॉनरजंग

स्त्री
नाम

बनाम डायरेक्टर ऑफ एण्डाउमेंट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निवाया बक्शी वाले मुकदमों में प्रतिपादित उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि मुतवल्ली वक्फ सम्पत्ति का केवल व्यवस्थापक, प्रशासक, अधीक्षक या संरक्षक ही है।

मुतवल्ली के कर्तव्य न्यासधारी के समान हो सकते हैं और उसे शिथिल रूप से न्यासधारी कहा जा सकता है, परंतु दोनों की विधिक प्रसंगतियाँ एक समान नहीं हैं। न्यास में सम्पत्ति न्यासधारी में निहित होती है, परंतु वक्फ की सम्पत्ति मुतवल्ली में नीहित नहीं होती है वक्फ की सम्पत्ति का स्वामित्व या उसमें किसी हित का दावा करने का अधिकारी नहीं है। मुतवल्ली को सम्पत्ति केवल वक्फ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुपुर्द की जाती है। इसलिए इसकी स्थिति मैनेजर या अधीक्षक से अधिक कुछ नहीं होती। मुतवल्ली यथार्थतः न्यासधारी नहीं होता और वक्फ की सम्पत्ति उसमें नीहित नहीं होती।

वक्फ की सम्पत्ति में मुतवल्ली का कोई अधिकार नहीं होता और न ही जोत की भूमि पर मालिकाना अधिकार भी नहीं कर सकता है। मुतवल्ली भले ही तकनीकी अर्थों में न्यासधारी न हो तो भी न्यासधारी के ऊपर आरोपित कर्तव्यों से वह बाध्य है। न्यासधारी के समान मुतवल्ली ऐसा व्यक्ति है जिसे वैश्वासिक हैसियत प्राप्त है और इस कारण वह अपने स्वार्थ की पूर्ति या अपने नजदीकी नातेदारों के स्वार्थ की पूर्ति वक्फ की सम्पत्ति से नहीं कर सकता है।

मुतवल्ली कौन हो सकता है :-

कोई भी ईमानदार व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, मुतवल्ली के पद पर नियुक्त किया जा सकता है और वक्फकर्ता अपने को या अपने वंशजों को वक्फ सम्पत्ति का मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकारी है।

स्त्री की नियुक्ति :-

न्यायालय के अनुसार —

मुल्ला के कार्य धार्मिक किस्म के हैं न कि गैर धार्मिक प्रकृति के उसमें एक कार्य है मस्जिद में धार्मिक अनुष्ठानों को करना अपीलार्थी स्त्री होने के नाते उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। अतएव स्त्री ऐसी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती है। मस्जिद में ये कार्य केवल कुटुम्ब के पुरुष सदस्य ही कर सकते हैं, और जब कुटुम्ब में पुरुष सदस्य जीवित हैं तो उन कार्यों को किसी सहायक या प्रतिनिधि से कराने का अधिकार स्त्री सदस्य को नहीं है।
(आ० इ० रि० 1935 बम्बई 245)

प्रिवी कौंसिल ने भी एक वाद में कहा है कि जहाँ वक्फ इस प्रकार नहीं है कि मुतवल्ली को स्वयं कोई मजहबी या आध्यात्मिक कार्य करने हों जिसे वह स्त्री स्वयं करने में या किसी सहायक से कराने में असमर्थ हो तो स्त्री को मुतवल्ली बनाये जाने के मार्ग में कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है।

Scanned with CamScanner

ANKIT
Page No.
Date

गैर मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति :-

गैर मुस्लिम व्यक्ति भी किसी धर्मार्थ या गैर मजहबी वक्फ का मुतवल्ली हो सकता है, किंतु जहाँ मुतवल्ली को मजहबी कार्य करने होते हैं वहाँ उसकी नियुक्ति मुतवल्ली के पद पर नहीं हो सकती है। इस प्रकार कोई भी गैर-मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति किसी खानकाह या दरगाह के सज्जादानशीन या मस्जिद के इमाम के पद पर नहीं हो सकती है।

अवयस्क की नियुक्ति मुतवल्ली के रूप में :-

मुतवल्ली का पद अगर वंशानुगत हो तो अवयस्क की नियुक्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वह वयस्क न हो जाय। उसके वयस्क होने तक कार्यवाहक मुतवल्ली की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यवाहक को भी सामान्य मुतवल्ली के तरह अधिकार प्राप्त होगा।

मुतवल्ली की नियुक्ति कौन कर सकता है?-

(क) वक्फकर्ता द्वारा
(ख) वक्फकर्ता के निष्पादक द्वारा
(ग) मुतवल्ली द्वारा
(घ) न्यायालय द्वारा

Scanned with CamScanner